न्यायालय डिविजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 79/2022

अपीलाण्ट्स

स्व0 तेजाराम पुत्र तोलाजी मेघवाल, निवासी तहसील व जिला सिरोही के उत्तराधिकारीगण—

1. स्व0 चेतन प्रकाश पुत्र स्व0 तेजाराम मेघवाल, निवासी तह. व जिला सिरोही के उत्तराधिकारीगण—
   - 1/1 प्रेमलता पत्नी स्व0 चेतनप्रकाश मेघवाल
   - 1/2 जीवन गोयल पुत्र स्व0 चेतनप्रकाश मेघवाल
   - 1/3 सुनील गोयल पुत्र स्व0 चेतनप्रकाश मेघवाल
   - 1/4 सुरेन्द्र गोयल पुत्र स्व0 चेतनप्रकाश मेघवाल (निवासीगण तह0 व जिला सिरोही)
2. स्व0 भंवरलाल गोयल पुत्र स्व0 तेजाराम मेघवाल निवासी तह. व जिला सिरोही के उत्तराधिकारीगण—
   - 2/1 जमना पत्नी स्व0 भंवरलाल मेघवाल, निवासी तह0 व जिला सिरोही
   - 2/2 स्व0 गिरीश पुत्र स्व0 भंवरलाल मेघवाल, निवासी सिरोही के उत्तराधिकारीगण—
     - 2/2/1 लक्ष्मी पत्नी स्व0गिरीश गोयल जाति मेघवाल
     - 2/2/2 परी उर्फ अदिती पुत्री स्व0 गिरीश गोयल, जाति मेघवाल, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता लक्ष्मी पत्नी स्व0 गिरीश गोयल निवासी सिरोही
     - 2/2/3 देवीना उर्फ ऐंजल पुत्री स्व0 गिरीश गोयल, जाति मेघवाल, नाबालिग जरिये कुदरती वली माता लक्ष्मी पत्नी स्व0 गिरीश गोयल निवासी सिरोही
   - 3 नितीन पुत्र भंवरलाल मेघवाल, निवासी तहसील व जिला सिरोही

रेस्पोडेन्ट्स

1. नगर परिषद सिरोही
   - 1/1 अध्यक्ष, न0प0 सिरोही
   - 1/2 आयुक्त, न0प0 सिरोही
2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही
3. कमला पत्नी नवीन डांगी पुत्र स्व0 तेजाराम, निवासी 52, शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स, सिरोही
4. सुन्दर पत्नी जगदीश प्रसाद डांगी पुत्री तेजाराम, निवासी 282 सी, सरस्वती नगर, बासनी, जोधपुर
5. छगनलाल पुत्र पुराजी मेघवाल, निवासी मेघवालो का बास, गांव गोयली, तहसील व जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलेक्टर सिरोही दिनांक 23.03.2022 राजस्व अपील संख्या 03/2018 अनवान स्व0 तेजाराम के उत्तराधिकारीगण बनाम नगर परिषद सिरोही वगैरा

उपस्थित—

1. श्री सुगनमल परिहार, वकील अपीलाण्ट्स
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री मनीष पंवार, रेस्पो0 संख्या 5
4. रेस्पो0 सं0 1, 3 व 4 अनुपस्थित

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 30 .12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स ने अतिरिक्त जिला सिरोही द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 03/2018 अनवान स्व0 तेजाराम के उत्तराधिकारीगण बनाम नगर परिषद सिरोही वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सिरोही II के नामान्तरकरण सं0 2220 में उल्लेखित खसरान की भूमि तेजाराम पुत्र तोलाजी मेघवाल साकिन देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिसमें खातेदार तेजाराम बहक नगर पालिका मण्डल सिरोही के मध्य दिनांक 27.03.1989 को निष्पादित पंजीबद्ध विक्रय–विलेख में उल्लेखित कुल खसरान किता. 13 की कुल कृषि भूमि 37 बीघा 01 बिस्वा में से विक्रयशुदा कृषि भूमि 35 बीघा 04 बिस्वा का पारित नामान्तरकरण संख्या 2220 तहसीलदार सिरोही द्वारा दिनांक 29.06.2005 को इसके पुष्ठ भाग पर अंकित नोट अनुसार–प्रचलित प्रावधानों का उल्लंगन मानते हुए अस्वीकृत कर दिया गया। जो पुनः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1251/2008 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 की पालना में एवं न्यायालय सहायक कलेक्टर सिरोही के वाद संख्या 52/2007 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2017 के कम में दिनांक 08.12.2017 को तहसीलदार सिरोही द्वारा स्वीकृत किया गया।
3. उक्त स्वीकृत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष प्रथम राजस्व अपील प्रस्तुत की गई। जो दर्ज राजस्व अपील संख्या 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 23.03.2022 द्वारा उक्त ना0क0सं0 2220 माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 1251/2008 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 की पालना में तहसीलदार सिरोही द्वारा स्वीकृत किये जाने से, प्रस्तुत अपील खारीज कर दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

4. प्रकरण में दिनांक 24.8.2022 को प्रार्थी छगनलाल पुत्र पूराजी मेघवाल द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10(2) सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी व शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयतग्रहिता की हैसियत से इस अपील में पक्षकार बतौर रेस्पोडेन्ट के रूप में स्थापित करने का निवेदन किया गया, जो स्वीकार कर इन्हें अपील में बतौर रेस्पो0 सं0 5 संयोजित किया गया।

5. बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अति0 जिला कलेक्टर सिरोही ने अपीलार्थी की प्रथम अपील को सरसरी तौर पर निर्णित करते हुए खारीज करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की गई है। ना0क0 जैर अपील संख्या 2220 विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों एवं प्रतिपादित सिद्धान्तों को नजर अंदाज करते हुए स्वीकृत किया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त करने योग्य था। जिस बेचाननामै के आधार पर उक्त ना0क0 स्वीकृत किया गया है, उस बेचान से रेस्पो0 सं0 1 को कोई खातेदारी अधिकारों का हस्तांतरण नही हुआ है, क्योकि उक्त बेचान धारा 42 राज0 काश्तकारी अधि0 के प्रावधानों के विरूद्ध होने से शून्य था। जिसको राज्य सरकार के पत्र दिनांक 19.11.05 एवं 4.8.19 में स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी. विचाराधीन है, जिसकी जानकारी तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय को होते हुए भी इस बिन्दु पर कोई विचार नही किया गया, इससे वाद बाहुल्य बढा है। तहसीलदार को चाहिए था कि उक्त ना0क0 स्वीकृत करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर देते। इसके अलावा स्वयं हाल–नगर परिषद सिरोही ने दिनांक 3.10.13 को यह प्रस्ताव लिया था कि प्रतिफल की राशि पुनः वसुल कर, जमीन का कब्जा विक्रेता के पास रहने दिया जावे। इसके पश्चात उक्त ना0क0 उसके पक्ष में स्वीकृत करने का कोई औचित्य नही हैं। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया गया।

6. रेस्पो0 सं0 5 के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए दिनांक 01.11.22 को लिखित बहस प्रस्तुत की गई। जिसमें मुख्यतः एस.सी. की कृषि भूमि का गैर एस.सी.–तत्का0 नगर पालिका सिरोही हाल नगर परिषद

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

सिरोही के नाम स्वीकृत ना0क0सं0 2220 को निरस्त/शुद्धिकरण कराने एवं वसीयत अनुसार छगनलाल पुत्र पुराजी मेघवाल निवासी ग्राम गोयली, सिरोही के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण पारित कराने का निवेदन किया गया।

7. रेस्पो सं0 2 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह निवेदन किया कि अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 2220 मा0 राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 की पालना में तहसीलदार सिरोही द्वारा स्वीकृत किया गया है। अतः उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील खारीज की गई है, जो न्यायोचित है।

8. उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया जाता है कि –

(i) ग्राम सिरोही ा का नामान्तरकरण संख्या 2220 तहसीलदार सिरोही द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट संख्या 1251/2008 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2017 की पालना में दिनांक 8.12.17 को स्वीकृत किया गया है, अतः उक्त स्वीकृत ना0क0 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील, विकल्प रहित होने से खारीज कर दी गई, जो कि सर्वमान्य है।

(ii) उपरोक्त याचिका स्वयं नगर पालिका मण्डल सिरोही द्वारा जरिये अधिशाषी अधिकारी एवं अध्यक्ष, माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर में प्रस्तुत की गई थी। अतः अपीलांट्स/रेस्पो0 सं0 5 द्वारा हस्तगत प्रकरण में, स्वीकृत ना0क0सं0 2220 एवं अपीलाधीन आदेश को लेकर प्रकट किए गये तथ्य/तर्क, मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 11.10.2017 के दृष्टिगत इस स्तर पर विचारणीय नही है।

(iii) मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 11.10.2017 के विरूद्ध उपरोक्त अपीलांट्स द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में दायर डी.बी.स्पे.अपील याचिका संख्या 1103/2017 में दिनांक 19.08.2019 को यह आदेश पारित किया गया है :–

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

"In case, the state Government Passes any such order and decides to transfer/allot the land in question to the Municipal Board, it will be incumbent upon the Municipal Bord to compensate the present appellants in appropriate manner and for such purposes, we feel that to meet the ends of justice it will be apt to direct the Municipal Bord to allot one plot admeasuring 30'x60' (1800 Sq. ft.) each to the appellant Nos.1 to 4 (total 4 plots), free of cost.

The appeal is partly allowed, in the above terms.

प्रकरण में माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 19.08.2019 को पारित उक्त आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही के समक्ष विचाराधीन प्रकरण सं0 03/2018 की सुनवाई के दौरान प्रकट हो चुकी थी तथा उपरोक्त दोनो आदेशों का उल्लेख स्वयं उनके द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 के पृष्ठ संख्या 4 की पंक्ति सं0 22 से 35 में किया गया है। किंतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी.स्पे.अपील सं0 1103/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 के परिप्रेक्ष्य में पालना का अभाव पाया गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण जिला कलेक्टर सिरोही को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी.स्पे.अपील संख्या 1103/2017 में पारित आदेश दिनांक 19.08.2019 के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से आदेश पारित कर, इसकी पालना हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न करावे।

निर्णय आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

30/12/22

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर